संख्या – 15/औ०–31–30/16 / स्वा०

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शेखर चन्द्र वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक–....................................

विषय : राज्य के अंतर्गत दवा प्रतिष्ठानों द्वारा पाँच सौ रूपए और एक हजार रूपए के वैसे नोट जिन्हें आठ नवम्बर की रात्रि से वैध मुद्रा की श्रेणी में नहीं रखा गया है, को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना सं0 – का0 आ0 3416(अ0) दिनांक – 09.11.16 के आलोक में स्वीकार करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से ऐसी शिकायत आ रही है कि कतिपय दवा दूकानदारों द्वारा पुराने पाँच सौ एवं एक हजार की मुद्रा जिन्हें दिनांक – 08.11.2016 की मध्य रात्रि से वैध मुद्रा नहीं होना घोषित किया गया है, को दवा क्रय/विक्रय में स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इस संदर्भ में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना सं0 – का0 आ0 3416(अ0) दिनांक – 09.11.16 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना सं0 – का0 आ0 3408(अ0) दिनांक – 08.11.16 (छाया प्रति संलग्न) में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि चिकित्सकों के नुस्खों और पहचान पत्र के सबूत के साथ प्रस्तुत करने पर सभी फार्मेसियों को उक्त मुद्रा का भुगतान स्वीकार करना है।

अतः, अनुरोध है कि भारत सरकार के उपर्युक्त अधिसूचनाओं द्वारा निर्गत निदेश, जो अभी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना सं0 – का0 आ0 3448(अ0) दिनांक – 14.11.16 द्वारा दिनांक – 24.11.16 तक के लिए विस्तारित किया गया है, के आलोक में सभी दवा दूकानदारों द्वारा इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। यदि उक्त अधिसूचनाओं के प्रावधानों के विपरित किसी दवा प्रतिष्ठान की अवज्ञा पायी जाएगी तो उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) इस कार्य हेतु अधिसूचना निर्गत कर पुनः अवधि विस्तार करती है तो तद्नुरूप यह निदेश विस्तारित समझा जाएगा। इस संबंध में सहायक औषधि नियंत्रकों एवं सभी औषधि निरीक्षकों को आवश्यक निदेश दे दिया गया है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना

ज्ञापांक – 1162(15) /स्वा0, पटना, दिनांक – 16/11/2016

प्रतिलिपि – राज्य के सभी सिवल सर्जनों/सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/सभी सहायक औषधि नियंत्रकों/ सभी औषधि निरीक्षकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – श्री अनिल कुमार, उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस पत्र के आधार पर विभाग की ओर से आज ही एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि – अध्यक्ष बिहार केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट्स एसोसियेशन, पटना के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/11/16

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना